[ 19/12/2024]

प्रश्न सं. [ क्र. 453 ]

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)
Office of the Municipal Corporation, Satna (M.P.)

Vivekanand Bhawan, of Gayatri Mandir, on Road, SATNA-485001
672-228818, Fax-07672-224799

पत्र.क्रमांक / अति.वि. / न.पा.नि. / 2024 117 दिनांक 25/7/24

::–नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 एवं 307 अंतर्गत नोटिस–::

प्रति,

श्री सुनील सिंह
पुत्र श्री बद्री सिंह
वार्ड क्र. 01
अमौधा
सतना (म०प्र०)

---000---

विषय :– आपके द्वारा किए गए अवैध निर्माण के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा अमौधा कला वार्ड क्र.01 में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य नगर तथा ग्राम निवेश जारी विकास अनुज्ञा एवं नगर निगम सतना से प्राप्त भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र क्र. **PMT/SAT/0397/127/2022** दिनांक 20.02.2022 के क्रम में किया गया था। किन्तु आपको नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी विकास अनुज्ञा क्र. 716–719 / न.ग्रा.नि / तक. / वि.अ. / 2021 दिनांक 24.09.2021 नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्र.262 / दिनांक 28.08.2022 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 1से 3 तक उल्लेखित कारणों से निरस्त कर निरस्तगी की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई जिसके उपरांत नगर निगम सतना द्वारा जारी भवन अनुज्ञा **PMT/SAT/0397/127/2022** की निरस्तगी की कार्यवाही की गई। इस तरह आपके द्वारा आराजी क्र. 403 / 1 / 1 / 1 / 2 में 3012.5 वर्गफिट प्लाट एरिया में निर्मित संरचना अवैध हो गई है। म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 307 के तहत आपको आदेशित किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्ति में 30 दिवस के अंदर उपरोक्तानुसार निर्मित अवैध संरचना को स्वयं से हटा ले। निधारित समय में उपरोक्त निर्मित संरचना नही हटाए जाने पर नगर निगम सतना द्वारा उक्त अवैध संरचना को हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आप से की जाएगी। साथ ही म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 302 के तहत उपरोक्त कृत्य के लिए आप पर 5000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

25/07/24

O/C

Recieved

अतिक्रमण अधिकारी
अतिक्रमण विभाग
नगर पालिक निगम
सतना (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल